

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4344 / 2022

नरेंद्र कुमार राठौड़

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली तंवरन जिला कोटा।
4. नरेश कुमार मीणा, वर्तमान में व्याख्याता (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिकवानी, जिला बांरा में कार्यरत।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली तंवरन, जिला कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थागण के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिकवानी, जिला बांरा में निजी प्रत्यर्थागण संख्या-4 के स्थान पर किया गया है तथा आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी का कथन है तथा निजी प्रत्यर्थागण संख्या-4 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिकवानी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली तंवरन में अपीलार्थी के स्थान पर समंजित(Accomodation) करने के आशय से किया गया है उनका

कथन है कि अपीलार्थी को यात्रा भत्ता दिया गया है परंतु निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 को यात्रा भत्ता नहीं दिया गया है इससे स्पष्ट होता है कि स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 200 कि.मी. दूर बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) को एवं आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरंतर व्याख्याता (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली तंवरन, जिला कोटा में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय

से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य